

कार्यालय नगर विकास न्यास, कोटा


क्रमांक:-एफ 3/लेखा/17-18/ 9214-34

दिनांक : 26/10/17

ऑफलाईन निविदा सूचना संख्या : 45/17-18

नगर विकास न्यास, कोटा की ओर से न्यास में पंजीकृत उपयुक्त श्रेणी के संवेदकों एवं किसी भी राजकीय/अर्द्धशासकीय/स्वायत्त शासी विभागों के अन्तर्गत "एए" तथा "ए" क्लास (विद्युत कार्यों के लिए ई-1 श्रेणी) संवेदकों से मोहरबंद (ऑफलाईन) पद्धति से कुल 01 कार्यों हेतु निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं।

उक्त कार्यों का विस्तृत विवरण, निविदा शर्तें, अनुमानित लागत, निविदा बेचने, प्राप्त करने एवं खोलने की दिनांक आदि सम्पूर्ण विवरण वेबसाइट <https://sppp.rajasthan.gov.in>, <http://urban.rajasthan.gov.in> एवं नगर विकास न्यास, कोटा की वेबसाइट <https://www.uikota.org> पर देखा जा सकता है।

  
अधिसूची अभियंता,  
नगर विकास न्यास, कोटा

निविदा का विवरण निम्नानुसार है :-


Part	निविदा की क्र०सं०	ऑफलाईन निविदा विक्रय तिथि	ऑफलाईन निविदा प्राप्ति की तिथि	ऑफलाईन निविदा खोलने की तिथि
A	1	26-10-17 प्रातः 9.30 से 09-11-17 दोपहर 2.00 बजे तक	10-11-17 को दोपहर 2.00 बजे	10-11-17 को दोपहर 3.00 बजे

निविदा का विवरण निम्न प्रकार है :-

क्र. सं.	कार्य का नाम	कार्य की अनुमानित लागत (लाखों में)	निविदा शुल्क	कार्य पूर्ण करने की अवधि	खण्ड
1.	श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम में बैडमिंटन कोर्ट का संचालन कार्य	3.50	500.00	24 माह	प्रथम

नोट:-

1. निविदा से सम्बन्धित समस्त विवरण <https://sppp.rajasthan.gov.in> एवं <http://urban.rajasthan.gov.in> पर देखा जा सकता है।
2. सभी संवेदकों को धरोहर राशि डीडी अथवा नकद राशि चालान के माध्यम से ओबीडी बैंक, न्यास परिसर, कोटा में जमा करानी होगी। चालान द्वारा राशि जमा कराने के स्थिति में संवेदक को चालान की तृतीय प्रति कनिष्ठ लेखाकार को देने पर ही टेण्डर कॉपी दी जायेगी। एक चालान एक निविदा (एक कार्य) के लिए ही मान्य होगा।
3. उक्त निविदा न्यास की वेबसाइट [www.uikota.org](http://www.uikota.org) पर भी देखी जा सकती है।
4. प्रथम तीन न्यूनतम दरदाता संवेदकों को धरोहर राशि को रोकते हुए शेष सभी संवेदकों को धरोहर राशि सात दिवस के अंदर लौटाई जायेगी तथा द्वितीय व तृतीय न्यूनतम दरदाता संवेदकों को धरोहर राशि कार्यदिश जारी होने के 10 दिवस परचात या निविदा कैबला तिथि परचात (दोनों में से जो भी पहले हो) लौटाई जायेगी।
5. राजस्थान भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार नियम-2009 के सम्बन्ध में जारी अधिसूचना दिनांक 30.4.09 के अनुसरण से न्यास द्वारा कराये जा रहे निर्माण कार्यों के रनिंग/अंतिम बिलों के भुगतान पर 1% श्रम उपकर (L. Cess) भी देय होगा।
6. निविदा में प्रस्तुत दर प्रचलित बी.एस.आर. जिस पर निविदा आधारित है, से 10 प्रतिशत से अधिक कम (Below) आने पर 10 प्रतिशत राशि को छोड़ते हुए शेष राशि की बैंक गारण्टी/डीडी विभाग में कार्यदिश जारी करने से पूर्व जमा करानी होगी। जो वास्तविक कार्य पूर्णता तिथि से 28 दिन बाद कार्य संतोषजनक होने पर लौटाई जायेगी।
7. निविदा में भाग लेने वाले सभी संवेदकों/फर्मों को सूचित किया जाता है, कि निविदा में सम्मिलित होने से पूर्व, यह सुनिश्चित करले की वे निविदा के अनुरूप उपयुक्त श्रेणी में पंजीकृत है या नहीं उपयुक्त श्रेणी में पंजीकृत नहीं पाये जाने की स्थिति में निविदा निरस्त करने/निविदा निरस्त करते हुए जमा राशि जप्त करने का प्रावधान नगर विकास न्यास, कोटा में निहित रहेगा।
8. उपरोक्त निविदाओं को बिना किसी कारण बताएँ निरस्त करने का अधिकार स्लम अधिकारी को रहेगा।

  
अधिसूची अभियंता,  
नगर विकास न्यास, कोटा